(राजस्थान सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाराँ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 11/2024

पंजीकरण संख्या :— 2024/15

बउनवान

राजेन्द्र पुत्र जगन्नाथ जाति धाकड़ निवासी दीगोदखालसा तहसील छीपाबड़ौद जिला बाराँ

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छीपाबड़ौद

(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित :— 1. श्री मदन मोहन नागर अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 23.04.2024

अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद के प्रकरण संख्या 369/2022 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट में तहसीलदार छीपाबड़ौद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.11.2022 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम दीगोदखालसा की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2079 में खसरा नम्बर 627 की रकबा 01 बीघा भूमि पर फसल सोयाबीन की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 01 माह की सिविल कारावास की सजा एवं 50/— रूपये तावान राशि से दण्डित किया है जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 13.02.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर, प्रकरण मे विवादित भूमि पर वर्तमान मे कब्जा काश्त संबंधित रिपोर्ट तलब की गई, जिसके प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अपीलांट ने उक्त विवादित आराजी पर कोई पश्चातवर्ती अतिक्रमण नही किया है। अपीलांट अपने खातेदारी की आराजी को काश्त करता है। अपीलांट ने सरकारी चारागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नही कर रखा है, पटवारी हल्का द्वारा झूठी रिपोर्ट पेश की है, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानने मे कानूनी भूल की है। उक्त निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विरूद्व है [illegible] से प्रथम दृष्टया ही काबिले खारजी है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना मे अर्थदण्ड जुर्माना जमा करा दिया है तथा अपीलांट का अब कोई सरकारी भूमि या पठार भूमि पर अतिक्रमण नही है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.11.2022 बाबत् 01 माह की सजा एवं जुर्माना निरस्त फरमाने की कृपा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.05.21 13:00:35 IST
Reason: SelfAttested

इसके विपरीत पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर फसल सोयाबीन की बोई जाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तामील करवाई गई है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा है। अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर मिला है। अपीलांट द्वारा पूर्व में भी संवत् 2078 रबी में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 501/2022 में पारित निर्णय दिनांक 28.02.2022 की पालना में दण्डित किया जाकर पटवारी हल्का द्वारा मौके से बेदखल किया गया था। प्रकरण में विवादित भूमि की वर्तमान मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम दीगोदखालसा के खसरा नम्बर 627 की रकबा 01 बीघा भूमि पर अपीलांट द्वारा सोयाबीन की फसल काश्त की गई है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया, जिसकी तामील करवाई गई। अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद में उपस्थित रहा है। यह न्यायालय पेरोकार सरकार के कथन से पूर्णतया सहमत है कि अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश विधिसंगत प्रतीत होने से यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है ।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबड़ौद के प्रकरण संख्या 369/2022 किस्म अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट बउनवान सरकार बनाम राजेन्द्र धाकड मे पारित निर्णय दिनांक 15.11.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक **23.04.2024** को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.05.21 13:00:35 IST
Reason: SelfAttested